



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 11, 2019/पौष 21, 1940

No. 22]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 11, 2019/PAUSHA 21, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2019

**सा.का.नि. 22(अ).**—केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 52 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी के अपराधों का अन्वेषण नियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी के अपराधों का अन्वेषण (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी के अपराधों का अन्वेषण नियम, 2013 के नियम 5 में, खंड (ख) में, “तीन उच्चतम अंकित मूल्य” शब्दों के स्थान पर “एक सौ रुपए और उससे अधिक अंकित मूल्य के नोटों” शब्दों को रखा जाएगा।

[फा. सं. 17012/197/2012/सीएफटी]

पीयूष गोयल, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 27 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. सा.का.नि. 780(अ), तारीख 17 दिसम्बर, 2013 द्वारा संशोधित किए गए थे।

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th January, 2019

**G.S.R. 22(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (f) of sub-section (2) of section 52 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Investigation of High Quality Counterfeit Indian Currency Offences Rules, 2013, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Investigation of High Quality Counterfeit Indian Currency Offences (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Investigation of High Quality Counterfeit Indian Currency Offences Rules, 2013, in rule 5, in clause (b), for the words “three highest denominations”, the words “notes of denomination of One hundred rupees and above” shall be substituted.

[F. No. 17012/197/2012/CFT]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 27<sup>th</sup> September, 2013 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 780(E), dated the 17<sup>th</sup> December, 2013.